

196



192 अनामिका

याच्य श्रीमान् अनामिका विना अनामिका महोदय, हतसुर मप्र०

ग रानी प्रकृष्टा क्रमांक

तन् २०१२

R-324-II/2012

- १- रानी पुत्री नोळकंठ ब्रा० हा निनाती गोरिहार तह० गोरिहार
  - २- पानकुंवरपुत्री नोळकंठ ब्रा० हा निनाती खडेहा तह० गोरिहार
  - ३- सुदामा पुत्री नोळकंठ ब्रा० निनाती पटली तह० चन्दडा
- निना हतसुर मप्र०
- ४- रामकान्तो पुत्री - नोळकंठ ब्रा० हा निनाती ग्रामपनारा तह० नरनी निना बांदा उ०प्र० ----- अनामिकागण

बनाम

- १- मुठो अन्नु पत्नी रामकाश ब्रा०
- २- दुर्गावती पुत्री नोळकंठ ब्रा०

ग्राम महें सुदं तह० गोरिहार  
 नोळकंठ ब्रा० निनाती महेंकडा  
 हतसुर मप्र० ----- अनामिकागण

श्रीनी अन्नांत घारा ५० मप्र० मप्र०  
 गनरानी बिस्व आदेश अनुनिभागीय अधिकारी  
 महोदय, कनकुशना गोरिहार निना हतसुर  
 के रा०प्र० क्र० १४/अपी०/२०१०-११ में पणिरत  
 आदेश दिनांक १६-१२-२०११ पे परिनेदित होकर

गण निम्नलिखित निग रानी श्रीमान् के तफा प्रस्तुत

गण सिद्धिपत्त में हत प्रकार है कि अनामिकागण  
 मत्त नोळकंठ ब्रा० की पुत्रियां हैं एवं अनामिका  
 पत्नी है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-324-दो/2012

जिला छतरपुर

रानी विरूद्ध मुस. अन्जू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर/गौरिहार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p><i>lynri</i> (आर.के. जिन) सदस्य 20/2/2019</p>